>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha, moved by Shri Kapil Sibal on the 29th August, 2011 (Bill passed).

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नं0-9, श्री वीरेन्द्र कश्यप ।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, सबसे पहले मुझे यहां से बोलने की इजाजत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011 पर जब चर्चा हो रही थी, तो वह बीच में रोक दी गई थी। उसे मैं अब कंटीन्यू करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हम जो गरीबों और अमीरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को पहले बराबर करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के अमीर बच्चों, गरीब बच्चों, शहरों या गांवों में पढ़ते हैं, सबके लिए एक समान एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और सबको एक जैसी शिक्षा मिले। इस कम्पिटीशन के युग में जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान ठीक होना चाहिए। वह तब ही हो सकता है जब हमारे पास अच्छे और वैल क्वालिफाइड टीचर्स हों।

सन् 1964 में एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट में एक अच्छी बात यह थी, जिसमें यह कहा गया था। Destiny of India is now being shaped in her class rooms. यानि हमारे देश का भविष्य क्लास रूम में बनेगा। उस समय 1964 में हमारे शिक्षा निर्माताओं ने कल्पना की थी, उन्होंने यह सपना देखा था, जो आज भी हम देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारी शिक्षा का प्रसार हुआ है और स्कूल्स की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन एजुकेशन के प्रसार को मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि जहां हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, वहीं हमारे पास बच्चों को बैठने के लिए क्लास रूम्स नहीं हैं। अगर क्लास रूम्स हैं तो टाट पट्टी नहीं है। अगर टाट पट्टी है तो वहां पर टीचर्स नहीं हैं। अगर टीचर्स हैं तो वे शिक्षित नहीं हैं, ट्रेंड नहीं हैं। नेशनल कौंसिल फार टीचर एजुकेशन बिल में जो यह संशोधन लाया गया है, उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि इन बातों पर गौर किया जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे अध्यापक हों। A teacher should remember that he is watched not only by students but by all stakeholders. His private life also counts a lot in making him effective. If his private life is not worthy of gentleman and in consonance with the moral values, he can hardly be an effective teacher. मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छा अध्यापक, if we want to produce a good teacher, जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर रहे, जो कल के नागरिक हैं और देश का भविष्य हैं और यह बात योग्य टीचर के माध्यम से बेहतर हो सकता है। इसलिए टीचिंग को हम प्रोफेशन तक ही सीमित न रखें। It should not be a profession only. It is a vocation, a calling, and a mission. The most admired teachers are not those who fill up the empty mind but those who stimulate thinking, inspire and ignite a spark of learning. यानि बच्चों में एक ऐसी भावना भरें ताकि उस टीचर की मोरल वैल्यू को देखते हुए, उसके मोराल को देखते हुए, जिसे हम प्रोडयूस करना चाहते हैं बच्चों का, उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो रिक्रूटमेंट पालिसी है, वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। आज हमने कांट्रेक्ट पर टीचर्स को रखना शुरू कर दिया है। कहीं पर विद्या पाठक रखे गए हैं, कहीं कहा गया कि विद्यार्थी मित्र हैं और कहीं पर पैरा-टीचर्स हैं। इस प्रकार से उन टीचर्स के लिए जो वैल क्वालिफाइड हैं, उन्हें लो पे दे रहे हैं और जो इतने शिक्षित नहीं हैं, जेवीटी हैं, उन्हें गांवों में 20-25,000 रुपए तक मिल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कई जगह पर प्रॉक्सी टीचर्स की बात हो रही है। हमारे दूर-दराज के देहाती क्षेत्रों में, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी टीचर्स हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो टीचर 20-25,000 रुपया ले रहा है, वह पांच-छः हजार रुपए में अपनी जगह किसी को भेज देता है और खुद अन्य जगह कोई दूसरा काम करके अपना धंधा चला रहा है। यह बात हमें देखने को मिली है। इसका सीधा-सीधा नुकसान देश में रहने वाले उन 70 प्रतिशत देहात के बच्चों का हो रहा है, जो दलित परिवार के हैं, ट्राइबल्स हैं।

बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी-टीचर्स काम कर रहे हैं। प्रॉक्सी टीचर का मतलब है कि जो टीचर 20-25 हजार रुपया महीना ले रहा है वह 5-6 हजार रुपये महीने में वहां पर किसी और को अपनी जगह पढ़ाने के लिए लगा देता है और खुद अपना दूसरा धंधा चलाता है। इसका सीधा असर हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। हमारे 70 प्रतिशत बच्चे देहातों में रहते हैं, जो दलित हैं, ट्राबल्स हैं, उन्हें हम ठीक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे टीचर्स अच्छे हों, उनका प्रशिक्षण अच्छा हो। ...(व्यवधान) हिंदुस्तान में आज 7.72 लाख टीचर्स अप्रशिक्षित हैं, उनमें 5.47 लाख मिडिल और 2.25 लाख प्राइमरी टीचर्स हैं। अगर हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित टीचर्स हैं तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? यह सोचने वाली बात है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो प्राइम-मिनिस्टर एडवाइजरी पैनल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सी बातें रखी गयीं। आप लोगों ने यह निर्णय बहुत अच्छा लिया, जिसमें आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए टीचिंग को अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि we need to give teachers a position of honour in society from where each teacher themselves can

open and encourage a creative and questioning attitude. इसमें आपका निर्णय आया है कि आप 15 लाख ग्रेजुएट साइंटिस्ट, 3 लाख पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट और 30 हजार पीएचडीज साइंटिस्ट वर्ष 2025 तक लाना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इसे आप बेहतर तरीके से करेंगें, तो मैं समझता हूं कि साइंस टीचर्स और साइंटिस्टों की जो कमी है वह पूरी हो सकेगी।...(व्यवधान)

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने वर्ष 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय देश के हर जिले में खोले। वहां हमें जाने का मौका मिला, वहां हमें टीचर्स घेर लेते हैं और कहते हैं कि 1.1.2004 से पहले जिन लोगों ने अपाइंटमेंट स्कीम ली, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उन्हें पेशन दीजिए। जिन लोगों ने वर्ष 1985 में सेंट्रल स्कूल में ...(व्यवधान) सर, मैं एक मिनट और चाहता हूं। सर, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय के टीचर्स की समस्याओं को सरकार हल करे।

आप जो एनसीटीई में अमेंडमेंट्स लाए हैं बिल्कुल सही अमेंडमेंट्स हैं और इन अमेंडमेंट्स के लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि एनसीटीई की जो एक्टिविटीज हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसमें आप पारदर्शिता लाएं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बंगलिंग होती है। एनसीटीई के बहुत से केसेज जब हमारे प्रदेश से यहां आते हैं तो उन्हें लटकाया जाता है, कई-कई साल तक लटकाया जाता है और यहां जो लोग बैठे हैं वे उसमें कुछ-न-कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। एनसीटीई अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो हमारी शिक्षा में अच्छा सुधार होगा और अच्छे टीचर्स हमें मिल पाएंगे।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए अमेंडमेंट बिल नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, जो कि राज्य सभा द्वारा पारित हुआ है, इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज के संदर्भ में जबकि हम एक नए विश्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में जब एक ज्ञान आधारित समाज हम बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान आधारित समाज तभी बनेगा, जबकि हमारे नौजवानों की शिक्षा की नींव मजबूत हो। इसके लिए आपने अध्यापकों के शिक्षण परिषद के बारे में बात कही, इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहती हूं कि बहुत समय तक " टीचर ट्रेनिंग " शब्द का प्रयोग होता था और जो " प्रशिक्षण " शब्द है, उससे कई बार ऐसा लगता है कि यह रोज़मर्रा के कामकाज को ले कर एक तरह के स्किल के प्रशिक्षण की बात हो रही है। आपने एक कदम आगे बढ़ कर एजुकेशन की बात कही, इससे लगता है कि न केवल रोजमर्रा के कामकाज में बल्कि एक तरह से पूरे शिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ोतरी के लिए और गुणात्मक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। इसके साथ मैं यह भी जोड़ना चाहती हूं कि क्या यह अच्छा होता, अगर हम टीचर लर्निंग की बात करते। जैसा एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि The only thing which interferes with my learning is education. क्योंकि लगातार जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि वह शिक्षा जो हमें छोटे दायरे में बांधती है, उससे नुकसान होता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा एनसीटीई का काम वर्ष 1993 से चल रहा था और जैसा कि उस दिन मंत्री जी ने कहा कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश वर्सिस उपेन्द्र राय एंड अदर्स के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके बाद यह बेहद जरूरी था कि हम इस तरह का संशोधन विधेयक पेश करें और पुनः परिभाषित करें कि जो नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन है, उसकी भूमिका क्या होगी और किस तरह से हम उसके काम को आगे ले कर जाएंगे।

मैंने इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन्स का भी अध्ययन किया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हालांकि मंत्री जी ने उस दिन बहुत विस्तार से बताया कि इन्होंने विभिन्न तरह के जितने भी स्कूल्स हैं, उनको अपने इस एक्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बिल में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने उस दिन एडेड स्कूल, अन एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल आदि सब तरह के स्कूल्स का अपने उद्बोधन का उल्लेख किया था। यह बेहतर होता कि जो परिभाषाओं की सूची है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग चीजों को परिभाषित किया है, वहां अगर इसे स्थान मिलता तो यह और अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद भी आपने काफी हद तक कि स्कूल से आपके क्या मायने हैं और आप किन चीजों को इसमें जोड़ना चाहते हैं, आपने इसमें स्पष्ट किया है। हमारा जो पुराना कानून था, उसका जो सैक्शन 12 (डी) है और उसके बाद सैक्शन 32 (डी-1) है, उसे अब आपने नए ढंग से जो परिभाषित किया है, उसमें अब वह सैक्शन 12 (ए) और 32-2 (डी डी) क्लाज़ में आया है। आपने उसमें न्यूनतम अहर्ताएं और योग्यताएं क्या होंगी और स्पष्टतः आप किसी शिक्षक से क्या योग्यता चाहते हैं, इसे आपने चिह्नित किया है। मेरा आपसे इसमें विशेषतः दो चीजों का अनुरोध है। एक - जब से राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आप ले कर आए हैं, उसके सैक्शन 23 में आपने यह प्रावधान दिया है कि जो मौजूदा शिक्षक हैं, जाहिर है कि उनमें से बहुत सारे होंगे, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो कि आपके एनसीटीई के नार्मस के मुताबिक होना चाहिए, तो आरटीई के अंतर्गत आपने सैक्शन 23 में प्रावधान किया है और पांच साल की अवधि निश्चित की है कि जिसके अंतर्गत वह अपने आपको दोबारा शिक्षित कर ले, प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। लेकिन इस बिल में एनसीटीई का जो संशोधन आप ले कर आ रहे हैं, उसके लिए आपने कोई अवधि निर्धारित नहीं की है। इस बात का मैं स्वागत करती हूं। जो वर्तमान में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको अगर आप बिना किसी तरह का समय दिये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अगर आप उस काम को आगे बढ़ाते तो यह संभव नहीं था लेकिन मेरा अनुरोध है कि दोनों के बीच में कोई कांट्रेडिक्शन नहीं हो, इसलिए इसको देखते हुए दोनों अपने आप में काम्पलीमेंट करें, जैसा कि आपने स्थायी समिति की रिकमेंडेशन के जवाब में भी दिया है, तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर हम उसके लिए एक समय सीमा तय कर लें और अध्यापकों के शिक्षण के लिए और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ने के लिए हम उन्हें तैयार करें तो यह बेहतर होगा। यह मेरा पहला सुझाव है।

मेरा इस संबंध में दूसरा सुझाव है कि यह जो अध्यापकों का शिक्षण कार्य जिन संस्थानों में होगा, उनमें जो अध्यापक ये कार्य सम्पादित करेंगे, उनकी क्या न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए, ये इसमें कहीं पर निश्चित नहीं किया गया है, जिसके बारे में भी मेरा अनुरोध है कि एक स्पष्ट विचारधारा तय कर लेनी चाहिए। तीसरा मेरा अनुरोध है चूंकि शिक्षण का जो कार्य है, वह हमारे समवर्ती सूची का काम है और आपको राज्यों को विश्वास में लेकर ही इसका क्रियान्वयन करना होता है और हम सबने देखा है कि शिक्षा के अधिकार कानून में जिन जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख रहा है, उन राज्यों में बेहतर काम हुआ और जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख नहीं रहा, वहां पर वैसा कार्य नहीं हो पाया। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर नियम भी नहीं बन पाए। इसलि मेरा अनुरोध है कि इसमें मैंने यह भी देखा कि बहुत सारे राज्य हैं जिनमें असम से लेकर पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, इन सबमें आज शिक्षित अध्यापकों की बेहद कमी है और कुल मिलाकर जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी भी कमी है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम पूरे देश में यूनिफॉर्मली गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि हम सारी राज्य सरकारों के साथ बैठकर इसके लिए अपनी ओर से भी प्रयास करें। मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि यूनेस्को ने 1996 में एक स्टडी की और उसके बाद कहा कि

"Teaching should be regarded as a profession. It is a form of public service which requires teachers' expert knowledge and specialised skills, acquired and maintained through rigorous and continuing study. "

यानी उन्होंने यह माना कि जो शिक्षण का काम है, उसको सतत करते रहने की आवश्यकता है और यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में अध्यापकों के शिक्षण को लेकर एक अध्ययन किया और उनका निचोड़ भी यही निकलकर आया कि लगातार उसमें अध्ययन और अध्यापन का सिलसिला जारी रहेगा तब जाकर बेहतर शिक्षण व्यवस्था होगी। ऐसा देखने में आया है और मेरे पूर्व वक्ता ने भी इसका जिक्र किया कि हम यह पाते हैं कि कई जगहों पर शिक्षण का कार्य उस तरह से नहीं हो पाता।

यह देखने में मिलता है कि कई स्कूल्स में क्योंकि स्कूल्स और अध्यापक सीधे सीधे विचारधारा के वाहक होते हैं और कई बार यह महसूस किया जाता है कि हमारे जो शिक्षणगण हैं, वे समझ की बजाए याददाश्त पर ज्यादा बल देते हैं और समझ की बजाए यदि याददाश्त पर ज्यादा बल शिक्षण व्यवस्था में होगा तो उस पीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाएंगे जो फक्र के साथ कह सके कि हमने किस चीज का अनुसंधान किया, किस चीज का अन्वेषण किया। फिर वो मनोज कुमार जी की प्रसिद्ध पिक्चर का गाना है, "जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई" उसकी बजाए आज की थ्री ईडिएट्स फिल्म में गाना आया "कंफ्यूज़न ही कंफ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।" ऐसे एक वातावरण का निर्माण होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विद्यार्थियों को क्या सोचें यह नहीं सिखाएं बल्कि कैसे सोचें, यह सिखाएं। ऐसे अध्यापाकों की हमें जरूरत है।

अंत में, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि जैसे मेरे अध्यापक गण हैं, वे विचारधारा के वाहक हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, उन्होंने अपने खुद के बचपन के किस्से का अपनी किताब अग्निपंख में जिक्र किया जबकि उन्होंने महसूस किया कि एक विशेष अध्यापक जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझती, उनकी ओर से जब भी शिक्षा का कार्य सम्पादित होता था, तब वो कहीं न कहीं बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था और गैर बराबरी पनपती थी।

ऐसे में जरूरी है कि लगातार समाज, धर्म और जाति के भेदभाव को अलग हटाकर शिक्षकों को शिक्षित करने की सुविधा मिले, ऐसा वातावरण बने जिसमें सभी छात्रों को एक नजर से देखा जाए, बैक बैंचर्स को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे आगे बढ़कर देश के नवनिर्माण में साथ दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर पीछे भी व्यवधान की वजह से बहस नहीं हो पाई थी और आज जल्दबाजी में इसे पास किया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, इसमें माननीय सदस्यों के विचार आ जाते तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी को ही पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में 10,31,000 शिक्षकों की जरूरत है। मैं इस बिल में विस्तार से देख रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड और जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों का समावेश किया है। जहां तक रेश्यो की बात है, एक कक्ष में 25-30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक होना चाहिए। यह हमारा मानक है लेकिन आज बैलेंस नहीं है। यहां तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्लास में 40, 50 या 60 बच्चे बैठते हैं और अध्यापकों की कमी है। जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां अध्यापक नहीं हैं और जहां अध्यापक ज्यादा हैं वहां बच्चे कम हैं। इस बैलेंस को देखना पड़ेगा।

14.57 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair)*

महोदय, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण बनाना होगा। हमें विशेष तौर पर प्राइमरी विद्यालयों की तरफ ध्यान देना होगा। अच्छा वातावरण इसलिए बनाना होगा क्योंकि बहुत से विद्यालयों में पेड़ के नीचे या मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां धूल भी उड़ रही होती है और गंदगी भी होती है। कई प्राइमरी विद्यालयों में गाय भैंस घूमती हैं क्योंकि बाउंड्री नहीं होती है। हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना होगा, बाउंड्री बहुत आवश्यक है। इसकी व्यवस्था करनी होगी। वहां बाथरूम नहीं है, अगर बने हैं तो हालत बहुत खराब है। अतिरिक्त भवनों और कक्षों की जरूरत है जो अब तक नहीं बन पाए हैं। हम शिक्षकों की बात कहते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। हम चाहते हैं कि योग्य शिक्षक आएं। पहले शिक्षकों का सम्मान होता था। समाज में शिक्षकों को आदरपूर्ण तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार शिक्षकों के सम्मान की तरफ विशेष ध्यान दे। बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बैठने के लिए घरों से खाद की प्लास्टिक की बोरियां ले जाते हैं क्योंकि टाट पट्टी नहीं होती है। बच्चों के लिए प्रापर यूनिफार्म की व्यवस्था करानी चाहिए। कुछ राज्यों ने

व्यवस्था की है। जिस प्रकार केंद्र सरकार मिड-डे-मील योजना चला रही है उसी प्रकार से यूनिफार्म भी मुहैया करानी चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए।

योग्य शिक्षकों की बात कही गई है। इनमें बीएड, बीटीसी है और विशिष्ट बीटीसी की व्यवस्था की गई है।

–

15.00 hrs.

-

एलटी के भी हमारे तमाम अध्यापक हैं, जो बड़े योग्य और शिक्षित हैं। लेकिन उनके प्रशिक्षण के बारे में आपने जो कहा कि वे पढ़-लिखकर आते हैं एक से लेकर बीए, एमए तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद बीटीसी, एलटी, विशिष्ट बीटीसी की अलग परीक्षा देते हैं और यदि उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें चयनित करें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। आप उनकी दोबारा परीक्षा न लें।

महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है। आज भी हम लोग जब वहां जाते हैं तो शिक्षामित्र ही एक ऐसा अध्यापक होता है, जिसे मानदेय पर रखा गया है। उसे हम पूरा वेतन भी नहीं देते हैं, केवल मानदेय देते हैं। लेकिन पूरे स्कूल का वातावरण, पूरी शिक्षा की व्यवस्था केवल उसी पर डिपैन्ड करती है और जो वहां रेगुलर अध्यापक होते हैं, वे थोड़ा उससे विरक्त रहते हैं, वे कहीं न कहीं चले जाते हैं तथा स्कूल को शिक्षामित्रों को भरोसे छोड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, वह उसे रेगुलर करे, ताकि उन्हें भी सही तरह से मौका मिले। ये लोग रेगुलर अध्यापकों से ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि इन शिक्षामित्रों को रेगुलर किया जाए।

महोदय, हम विदेशी शिक्षा की नकल की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उस परिसर में प्रोपर वे में शिक्षा का माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे घरों में पढ़ते हैं तो वहां शिक्षा का एक माहौल होता है, उस प्रकार का वातावरण हमें प्राइमरी पाठशालाओं में देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा हो, उसमें प्राइमरी शिक्षा पर हमें ठोस ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि इन्हीं बच्चों के कंधों पर हमारे देश का भविष्य है। इनके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी शिक्षा में कोई कमी न आये और प्राइमरी स्तर से हमारी यह देखने की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे छात्रों का ध्यान किस रोजगार, किस ट्रेड की तरफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए।

अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है और इस बिल को पास भी करना है। इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.पू.): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। 12 फरवरी, 2008 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिसमें टैक्निकल टीचर्स को ही टीचर्स माना है, इसलिए इसमें अमैन्डमैन्ट आवश्यक है। इस अमैंडमैन्ट का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है कि जो टीचर्स हैं, अगर टीचर्स में ही टीचर्स की काबलियत नहीं है तो वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, आज सवाल इस बात का है। सैक्शन 12(ए) में टीचर्स का स्टैंडर्ड का रूल फॉर केटेगरी लेड आउट है। अखबारों में छपा है कि इस समय 14 लाख 60 हजार टीचर्स की आवश्यकता है। लेकिन टीचर्स कोई फैक्टरी नहीं है या कोई अनाज और फूड ग्रेन नहीं है कि यूरिया डाल दो और प्रोडक्शन बढ़ा दो। यदि टीचर्स ही ट्रेन्ड नहीं हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी?

अब आप उनकी हालत को देखिए। पहले आप यह देखें कि इनकी इंस्पैक्शन फीस चालीस हजार रुपये है। यूनिवर्सिटी में उस स्कूल को चालीस हजार रुपये जमा करने पड़ते हैं, ताकि इंस्पैक्शन टीम आये और चालीस हजार रुपये जमा करने के बाद, माननीय एचआरडी मिनिस्टर को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि वह बहुत हायर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, हार्वर्ड के स्टूडेन्ट रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देता हूं...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं बताना चाहता हूं कि आज बी.एड. की परमीशन लेने में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है और भ्रष्टाचार के बाद यदि किसी कालेज को कोई बीएड की परमीशन मिलती है तो आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में सोच लीजिए। यदि यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो फिर कैसे होगा। ...(व्यवधान)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सैन्टर बंद कर दिया...(व्यवधान) सैन्टर के रीजनल ऑफिसेज चल रहे हैं। जहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां बंद हो गया, लेकिन अब यहां फैल गया है। इसके अलावा जब भ्रष्टाचार है तो इनके स्टैंडर्डाइजेशन जैसे डा.के.सी.पांडे कमेटी की रिपोर्ट मैं कल रात को देख रहा था। उन्होंने कहा था कि इनकी भी पॉइन्ट्स रेटिंग होनी चाहिए। कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी जिले में 50 कालेजों को बी.एड. की अनुमति दी है लेकिन कोई चेकिंग नहीं होती कि यहां कैसी पढाई हो रही है, कौन टीचर पढ़ा रहा है और क्या हो रहा है। सिर्फ आप उनसे व्यवसायिक संबंध रख लीजिए तो आप उनको नकल करा कर किसी तरह से टीचर्स को प्रोटक्शन दे रहे हैं। अगर व्यापारिक काम ही है तो वह शिक्षा नहीं हो सकती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल से ही शिक्षा की नींव डाली जाती है। मैंने माननीय एचआरडी मिनिस्टर को सुना कि हायर एजुकेशन हॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से इम्पोर्ट करो। लेकिन आज आठवीं का बच्चा हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। वह एक पेज की दरख्वास्त नहीं लिख पाता है तो आगे चल कर क्या होगा। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सर्व शिक्षा अभियान की नींव एकदम गलत साबित होगी और सब अनपढ़ लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे। मेरा कहना यह है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिंग सिस्टम, वह टीचर्स पर भी लागू होना चाहिए। एक बार किसी ने सन् 1940 में या सन् 1980 में कुछ पढ़ लिया, उसके बाद उसका ज्ञान बढ़ाने का या उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स का कोई प्रोवीज़न नहीं है। ...(व्यवधान) इसे एनसीटी कर सकती है, या जो बिल बनाते हैं वे करें। डॉ. के.सी. पाण्डेय जी की रिपोर्ट में भी कहा है कि रेटिंग सिस्टम इन एजुकेशन, बी.एड. कक्षाओं में होना चाहिए।

आज इसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है कि अब क्या हो रहा है एडहॉक टीचर्स, शिक्षा मित्र टीचर्स, कांट्रेक्ट टीचर्स आदि जितने किस्म के भ्रष्टाचार के पॉसिबल एवेन्यूज हैं, वे सब चल रहे हैं। छठे वेतन आयोग के बाद प्राइमरी शिक्षकों की सेलरी 18000 रूपये हो गई है। इसमें 25 से 35 प्रतिशत टीचर्स को यह मालूम नहीं कि वह पोस्ट किसी दूसरी जगह में है, और वे कांट्रेक्ट में काम करा रहे हैं। उस कांट्रेक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि लोगों की नेक्सस है और पढ़ाई हो रही है। इसकी चेकिंग होनी चाहिए।

जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार किताबें वितरण करती है, बच्चों को इन्फिरीऑरिटी काम्पलैक्स न हो इसके लिए उनको ड्रेस देती है, जिसमें यूनिफार्मिटी है। उत्तर प्रदेश

की सरकार शिक्षा में खासकर प्राइमरी एजुकेशन, उसके ऊपर अपर प्राइमरी एजुकेशन में पूरी तरह से सहयोग कर रही है। लेकिन उसकी बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए, इसके बहुत नियम बनने चाहिए। It is not only the quantity, but quality matters. इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुनः समर्थन करता हूँ।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् संशोधन विधेयक-2010 जिसे माननीय मंत्री जी ने कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया है, उस पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका अभार प्रकट करती हूँ।

महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वे इस विधेयक में बहुत ही अच्छा संशोधन लेकर आए हैं।

महोदय, आदिकाल से शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की नींव रखते आये हैं। मैं आशा करती हूं कि इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सचमुच में ऐसे शिक्षक तैयार होंगे, जिनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत होगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पहले के नियम के अनुसार 1995 से सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय इस सन्दर्भ में 2008 में आया, तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था।

महोदय, मेरी समझ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व भी हमारे देश के सभी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी थी। सिर्फ कानून बना देने से, सिर्फ कानून में संशोधन कर देने से स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। महोदय, कानून को लागू करने के लिए सरकार की नीयत और नीति की जरूरत पड़ती है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। हमारे देश में बच्चों के लिए नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून है। परन्तु सच्चाई क्या है- क्या हम सभी को शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या हम सभी बच्चों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे पा रहे हैं? महोदय, मैंने इन बातों का जिक्र इसलिए किया है कि यह संशोधन विधेयक बहुत ही अच्छा है, पर इस पर अमल किया जाये, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।

महोदय, आज भी हमारे देश में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था है। शहरों के लिए अलग शिक्षा, गांवों के लिए अलग शिक्षा, अमीर के लिए शिक्षा की अलग नीति है और गरीब के लिए अलग। महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसी शिक्षा नीति बने, जिससे अमीर-गरीब, गांव-शहर सभी के बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिले।

महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहद कमी है। वहां एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त मात्र 57 शिक्षण संस्थान हैं, जिनसे प्रतिवर्ष मात्र 5500 शिक्षक तैयार हो पाते हैं। मंत्री जी इससे सहमत होंगे कि दस करोड़ की आबादी के लिये यह संख्या बहुत ही कम है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि बिहार में बी.एड. संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाये, साथ ही साथ बिहार के मानव संसाधन विकास विभाग ने बिहार के सभी 245 अंगीभूत महाविद्यालयों में बी.एड. की पढ़ाई शुरू करने की जो अनुमति मांगी है, उसे स्वीकार किया जाये ताकि बिहार में भी प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किये जा सकें।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me permission to speak on this Bill. The Bill seeks mainly to set standards of teacher education and teacher qualification in all categories of schools based on the Supreme Court Judgement dated 12 February 2008.

Sir, I rise to oppose the Bill because education is in the Concurrent List and NCTE is embarking in an area which is beyond its scope of legislation and also in conflict with the legislation of the State, particularly, the Seventy-Third Amendment gives powers to the Panchayats and they are encroaching upon their powers. So, the Centre should have consultation with the States before such amendment.

Secondly, what is our experience of the teachers' training? My experience is that in West Bengal, this NCTE created a lot of problems, particularly, endangering the future of thousands of students. I was the Chairman of a School Board and I was also a teacher. So, I have the personal experience of how they are imposing conditions after conditions. So, I would request the hon. Minister of Human Resource Development to regularize and give recognition to all those candidates who have completed the teachers' training prior to 2009, implementation of the RTE Act. At the same time, what is our experience? NCTE is taking much bribe while making inspections. They have given recognition to such private institutions which have no infrastructure, nor even qualified teaching faculty. The HRD Ministry enquiry has also found out the same; they have referred to Northern Regional Centre of NCTE. That is why the HRD Ministry has superseded the NCTE for six months now. But my request is that let there be no NCTE. All the teacher education should be vested with the universities. Universities are competent enough to do that kind of job. So universities should be given that task. There should be no need of NCTE.

Another thing is about teachers' training. There is no doubt that it is very important because Kothari Commission in its findings says: "The destiny of India is now being shaped in her classrooms." That is why, classroom management, classroom climate, and classroom situation are very important. For that, teachers' training is also very important. But there are a number of untrained teachers all over the country. So, a time-frame should be given to them. But, for that, what the Government is doing is that it is encouraging the private education providers, private players to open various training colleges. What they are doing? They are flouting all the norms. Their purpose is to earn profit out of it. They are making education a kind of commodity and a degree-giving thing. That is why, there should be some limit to that. There should be some control over the private institutions. They are not even observing the reservation policy while appointing teachers. They are not paying proper salary to the teachers in the private institutions. So, there should be some control over them. They are getting a huge amount as tuition fee and as capitation fee. That should be limited.

Another important thing is teacher pupil ratio. That is very important. For that, a uniform norm should be made and merit should be the only criterion. If teachers are not qualified, equipped with the knowledge of their subjects, they must not be appointed. In West Bengal, there is School Service Commission for appointing teachers. That kind of Service Commission should be there.

Another important thing is absenteeism of the teachers. That should be looked into. In this connection, I would request the hon. Minister that teachers should not be vested with non-academic works. Even in the RTE, it is told that teacher should be engaged in voters' list revision or in census works. Why? If they do so, that will hamper the teaching, learning process.

Another important thing to be looked into is this. To attract the best students to teaching profession, proper salary should be given and benefits and facilities should be given. That is mainly the job of the States. But the Centre should also form a model code of conduct particularly for the private institutions. What about the para-teachers and the contract teachers? They are not given proper training. The training should be given to them.

My last point is that teacher education is a continuous process and its pre-service and in-service components are inseparable. There has been a linkage between the theory and practice. Hence, the present D.Ed. and B.Ed. syllabus need restructuring, upgrading and updating to meet the quality requirements for education both in the primary and secondary levels. A committee of experts from NCERT, SCERT, and DIET should go into this exercise to design the need-based syllabus and courses of study.

MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab. Take just three minutes. You are the last speaker. All others, who would like to speak, may kindly give their speeches to the Minister so that he can react later.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, the purpose of regulating the teacher education system is to ensure quality of teachers in the education system. In view of the Supreme Court's judgement in the case of Basic Education Board, Uttar Pradesh *versus* Upendra Rai and others of 2001, the minimum qualification for appointment of teachers in schools laid down by the Council has become redundant. Therefore, this amendment has come to clarify that the Act applies to schools, school teachers and the minimum qualification for appointment of school teachers, so as to have uniform standards of teaching in schools in the country.

Education being in the Concurrent List, the issue of consultation with the State Government on the proposed amendment in the Act was necessary which the Minister has done. But the main question here, for which the West Bengal Government had gone to the Court, is this. Are you going to prepare a model or are you going to enforce a set of rules? That is the main question which needs to be deliberated.

As I was going through the amendments that were sought in the Rajya Sabha, the Government has already incorporated the definition of 'school' and some other issues which were there; the definition of 'school' and the definition of 'local authority' that have been mentioned. In Clause-D, the words 'in school or shall be' are omitted through these amendments. Another amendment that has been also put forth is the 'minimum qualification of a teacher' referred to in the first proviso shall be acquired within the period specified in this Act.

So, these are certain amendments which have been incorporated after deliberations in the Rajya Sabha. I would say that for the Lok Sabha, there is nothing much to add.

The basic question is that lack of qualified teachers is a cause of concern. Not only in my State or in Southern States, it is a cause of concern throughout the country. Lack of quality teachers is another concern. Are you going to create or facilitate more number of Teacher Training Institutes? Are you going to encourage the State Governments and private parties to establish more number of teacher Training Institutes?

What I find is that there is a shortage of around 1.2 million teachers at the elementary level. The shortage of teachers for class IX and class X is over two lakh. I would like to quote here:

> "NCTE should not, therefore, confine itself to performing a regulatory role alone and needs to convert itself into a facilitator, developmental mentoring organisation"

These are not my words. These are the words of the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN : Please, pass on your remaining points to the hon. Minister. There is no time.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I understand it, Sir. The hon. Minister has also to reply. But, if this will be the method of transferring our views to the hon. Minister then there is no point of discussing it here in the House.

MR. CHAIRMAN: Most of the hon. Members have touched these points.

...(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, it is not a personal affair....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Sir.

I have certain suggestions to make. I have already given two suggestions. I would only say, as Meenakshiji has mentioned referring to the Right to Education Act – because I do not think any other hon. Member had mentioned about this issue – the Right to Education Act prescribes the norms of one teacher to every 30 students at the elementary level. You can calculate as to how many students are coming into these elementary schools and what the shortage of teachers is and which are the States where that shortage has occurred. Do such teachers are coming out of those institutes which are there to train our teachers? It is not. Different State Governments are recruiting directly educated teachers to educate students and subsequently allowing them to take training.

I would only request the hon. Minister and the Government to look into this major aspect so that NCTE can serve the nation in a better way.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): First of all, I would like to thank the distinguished Members of this House.

जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन का समर्थन किया है, मैं धन्यवाद करता हूं और आपका आभारी हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि चर्चा से साफ जाहिर है कि जो यह माननीय सदस्य ने कहा है, उनके टीचर अच्छे थे क्योंकि अगर उनके टीचर अच्छे नहीं होते तो वे अपनी भावनाओं को कैसे आपके सामने रख पाते? इसका मतलब यह है कि टीचर तो अच्छे हैं। हां, कुछ कमियां तो हैं। उन कमियों को हम पूरा करेंगे और जो सुझाव आपने दिए हैं, उनको हम सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): देश के बारह राज्यों में टीचर की कमी आप रखे हुए हैं। बारह राज्यों में शिक्षा नहीं हो रही है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, everything has been taken care of.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title

were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.